न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 152/2018

उनवान

भंवर सिंह पुत्र कम्मा जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. गोरधन पुत्र लादू,
2. भुवाना पुत्र गोपी,
3. भंवरी पत्नी पांचू,
4. बीरा,
5. हीरा पुत्र बोदू,
6. सुरजमल दत्तक पुत्र भोमा,
7. हीरी पत्नी भोमा,
8. मल्ला पुत्र हालू जाति रावत नि. फारकिया, नसीराबाद,
9. मैनेजर एस.बी.आई. श्रीनगर,
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 9 अनुपस्थित, जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 25/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम फारकिया के चौसाला खसरा नम्बर 1147 वंर्किग खसरा नम्बर 1390 रकबा 0–10–0 के हाल खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.08 की आराजी वादी के दादा मोती पुत्र काना के नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 में दर्ज थी। उक्त आराजी पारिवारिक बंटवारे में वादी के हिस्से में आयी है। जिस पर वादी का भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख बनातेसमय आराजी मुतनाजा पर वादी का अथवा उसके पिता का नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में कोई खण्डन [illegible] कोई तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने [illegible] अभिलेख पेश किये [illegible] नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:18 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी जरियें विरासत के नामान्तकरण के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुयी है। वाद का कथन है कि आराजी मुतनाजा वादी के दादा मोती पुत्र काना के नाम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 में दर्ज थी। उक्त आराजी पारिवारिक बंटवारे में वादी के हिस्से में आयी है। जिस पर वादी का भौतिक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख बनातेसमय आराजी मुतनाजा पर वादी का अथवा उसके पिता का नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से पूर्ण आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। किन्तु वादी द्वारा प्रकरण को सिद्ध करने हेतु मोती पुत्र काना का शजरा प्रमाण पत्र पेश नही किया है ना ही वाद के कथनों की ताईद हेतु मौखिक साक्ष्य हेतु कोई शपथ पत्र पेश किये है। चौसाला जमाबंदी के इन्द्राज को बिना किसी ठोस आधार के वादी द्वारा चुनौती दी गयी है। किन्तु पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अभाव में वाद के कथनों की ताईद नही होती है। वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा मौखिक बंटवारे में उसके हिस्से में आयी है। किन्तु वादी द्वारा पारिवारिक बंटवारा भी पेश नही किया है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा सिद्ध करने हेतु खसरा गिरदावरी भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम फारकिया के चौसाला खसरा नम्बर 1147 वंर्किग खसरा नम्बर 1390 रकबा 0–10–0 के हाल खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.08 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान
भंवर सिंह बनाम गोरधन
दावा बाबत :– 88, 188,राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 152/2018
पेश करने की दिनांक – 01.11.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम फारकिया के चौसाला खसरा नम्बर 1147 वंर्किग खसरा नम्बर 1390 रकबा 0–10–0 के हाल खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.08 की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:01:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद